न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–83 / 2018

प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–17.09.2018

उनवान

नाराणी उर्फ बरजी पत्नि स्व. दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला–टोंक

(प्रार्थीया)

बनाम

1. तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक
2. काना पुत्र दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. बद्री पुत्र दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
4. प्रहलाद पुत्र दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
5. राजाराम पुत्र दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
6. मथुरा पुत्री दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
7. तेजा पुत्र भैरू जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
8. किशन लाल पुत्र भैरू जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरू जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
10. बद्रीनारायण दत्तक पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा जाटान् तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)

(अप्रार्थीगण)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थी—श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता अप्रार्थीगणः—श्री चतुर्भुज गुर्जर

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय

दिनांकः—14.08.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 185, 186, 202, 203, 204, 205, 222, 223, 224, 305, 307, 308, 367, 368, 15, 369/423 वाकै ग्राम कल्याणपुरा जाटान् पटवार हल्का प्यावड़ी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.) में स्थित हैं। विवाह से पहले प्रार्थीया को पिता के घर में बरजी के नाम से जाना जाता था विवाह के उपरान्त प्रार्थीया के ससुराल वालों ने प्रार्थीया का नाम नाराणी रख दिया। बरजी और नाराणी प्रार्थीया के ही नाम हैं प्रार्थीया के पति दुर्गालाल की मृत्यु उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम बरजी बेवा दुर्गालाल दर्ज हैं किन्तु आधार कार्ड, वोटर कार्ड में प्रार्थीया का नाम नाराणी हैं। इस कारण प्रार्थीया बरजी के साथ नाराणी नाम भी जुड़वाना चाहती हैं। जिसके लिए रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर ने वकालत नामा पेश किया साथ ही इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थीया के उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में बरजी नाम के साथ उर्फ नाराणी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्राथीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ—पत्र प्रस्तुत किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् व शपथ—पत्र का अवलोकन किया। इकबाली जवाब अप्रार्थीगण व प्राथीया के शपथ—पत्र के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 185, 186, 202, 203, 204, 205, 222, 223, 224, 305, 307, 308, 367, 368, 15, 369/423 वाकै ग्राम कल्याणपुरा जाटान्

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पटवार हल्का प्यावड़ी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.) के राजस्व रिकॉर्ड में बरजी उर्फ नाराणी अंकित करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

Scanned with CamScanner